



कक्षा: 10वीं नागरिक शास्त्र (सामाजिक विज्ञान)



L:1 लोकतंत्र: गतिविधि और आचरण

(अ) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक से दो शब्दों या वाक्यों में दीजिए-

1. सामाजिक वर्गीकरण के कोई दो कारक क्या हैं?

उत्तर: जातिवाद और सांप्रदायिकता

2. ब्रिटेन के किस पड़ोसी देश के साथ सामाजिक विभाजन की समस्या थी?

उत्तर: उत्तरी आयरलैंड

3. योगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन के आधार कौन से दो कारक थे?

उत्तर: जातीय समूहों का अस्तित्व और विभिन्न जातीय समुदायों के नेताओं द्वारा की गई मांगें।

4. महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख राज्य से कौन सा तत्व गायब था?

i. न्यायिक प्रणाली iii. सांस्कृतिक

ii. सांप्रदायिक विभाजन

गतिविधियाँ उत्तर: सांप्रदायिक विभाजन

iv. यूरोपीय मूल के अधिकारी

5. दीन-ए-इलाही किस राजा की उदार नीति का प्रमाण है? i. औरंगजेब iii. सिराजुद्दौला उत्तर: अकबर 6. निम्नलिखित में से किस

वर्ष लोकसभा का चुनाव नहीं

ii. अशोक

हुआ था? i. 2004

iv. अकबर

iii. 2011

ii. 2009

4. 2014

उत्तर: 2011

7. ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा किस राज्य में हुई? i. ओडिशा

ii. केरल

iii. राजस्थान उत्तर:

iv. मणिपुर

ओडिशा

8. समाज के सामाजिक विभाजन के आधार का कोई एक पहलू लिखिए।

उत्तर: आर्थिक असमानता

(बी) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए -

1. एक सामान्य आदमी दिन भर में और कौन-कौन सी भूमिकाएँ निभाता है? उनके नाम बताइए।

उत्तर: एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में कई अलग-अलग भूमिकाएँ निभाता है। ये भूमिकाएँ इस प्रकार हो सकती हैं-

1. पुत्र या पुत्री 2. छात्र

3. माता या पिता

4. भाई या बहन 5. दोस्त

6. ग्राहक

7. नागरिक

2. लोकतंत्र को समझने के लिए मन में उठने वाले कोई दो प्रश्न बताइए।

उत्तर: 1. क्या केवल चुनाव कराने से ही लोकतंत्र पूर्ण हो जाता है?

2. लोकतंत्र यह कैसे सुनिश्चित करता है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त हों?

3. जनता की मांगों के प्रति सरकार का रवैया सामाजिक वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है?

उत्तर: जनता की मांगों के प्रति सरकार के रवैये का सामाजिक वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं। बेल्जियम ने डच, फ्रांसीसी और जर्मनों के बीच सत्ता का बँटवारा करके और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अधिकार देकर एकता को बढ़ावा दिया। लेकिन दूसरी ओर, श्रीलंका ने अल्पसंख्यक तमिलों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। अगर सरकार सत्ता साझा करने को तैयार है और अल्पसंख्यक समुदाय की वाजिब माँगों को ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करती है, तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं है। अगर सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी समुदाय की जायज़ माँगों को दबाने लगे, तो यह उल्टा साबित होता है। 'बल प्रयोग' के ज़रिए एकता स्थापित करने के प्रयास अक्सर अलगाववादी भावनाओं और प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं।

4. जाति आधारित दबाव समूह क्या हैं?

उत्तर: भारतीय राजनीति में जाति के तत्व ने जाति-आधारित दबाव समूहों के विकास को बढ़ावा दिया है। जाति-आधारित दबाव समूह समान हितों वाले समूह होते हैं। वे अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति संघ। उनकी प्रतिस्पर्धा में, गैर-अनुसूचित संघ अस्तित्व में आए हैं।

दोनों प्रकार के समूह भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं।

4. नारीवाद या नारीवाद क्या है?

उत्तर: महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और विकास के अवसर देने की अवधारणा, लेकिन सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने की अवधारणा भी इस विचारधारा का विषय है।

लैंगिक भेदभाव की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस मुद्दे पर राजनीतिक लामबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम देखते हैं कि महिलाएँ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रशासक, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षिका जैसे प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं, जबकि कुछ दशक पहले महिलाओं को इन नौकरियों के लिए योग्य नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ देशों, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड में, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। यही बात तृतीय लिंग पर भी लागू होती है। उन्होंने खुद को उन सभी राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक अधिकारों के लिए भी सक्षम साबित किया है, जिनके बारे में पहले नकारात्मक दृष्टि से सोचा जाता था।

5. क्या राजनीतिक दल भी धर्म के आधार पर बनते हैं?

उत्तर: भारत में धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद, भारत में कई राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बने हैं। ये दल भारतीय राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। किसी धर्म विशेष पर आधारित दल अपने ही धर्म के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे दल राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग हो जाते हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं दे पाते।

ऐसी पार्टियाँ मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं। ये पार्टियाँ चुनाव जीतने के लिए धार्मिक गुरुओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती हैं। कई धार्मिक गुरु समर्थन भी करते हैं, लेकिन ऐसी राजनीति समाज में संघर्ष और नफरत की भावना पैदा करती है। इसके अक्सर भयानक परिणाम होते हैं।

(सी) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए -

1. पुरुष-प्रधान समाज या नारीवाद के प्रति प्रबल झुकाव, दोनों ही कैसे एक-दूसरे से भिन्न हैं?

लोकतंत्र के लिए खतरा?

उत्तर: पुरुष-प्रधान समाज और नारीवाद के प्रति प्रबल झुकाव दोनों ही लोकतंत्र के लिए खतरा हैं क्योंकि वे समानता, स्वतंत्रता और न्याय को खतरे में डालते हैं।

1. असमानता में वृद्धि - जब समाज केवल पुरुषों या महिलाओं की ओर झुकता है, तो दूसरे लिंग के अधिकारों का हनन होता है। इससे सामाजिक समानता के मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत को ठेस पहुँचती है।

2. सामाजिक तनाव - जब समाज में किसी एक लिंग के प्रति अत्यधिक झुकाव होता है, तो दूसरे समूह में निराशा, क्रोध और विद्रोह की भावनाएँ पैदा होती हैं। इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है, जो लोकतंत्र की शांति और एकता के लिए खतरा बन सकता है।
3. योग्यता के बावजूद अवसरों का अभाव - यदि एक लिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो दूसरे लिंग के कुशल व्यक्ति अवसरों से वंचित रह सकते हैं। यह समान अवसरों के लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन है।
4. संघर्ष और असंतुलन - एक पक्ष के प्रति अत्यधिक झुकाव तनाव, संघर्ष पैदा करता है, और समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है, जो लोकतंत्र के सर्वोत्तम हित में नहीं है।
2. भारतीय राजनीति का एक पहलू यह है कि राजनीति जाति पर आधारित है। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? कोई दो कारण बताइए।

उत्तर: राजनीतिक दलों द्वारा जाति-आधारित उम्मीदवारों का नामांकन- चुनावों के दौरान, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते समय उम्मीदवार की जाति को ध्यान में रखते हैं। जिस निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति के मतदाता अधिक होते हैं, वहाँ उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है ताकि मतदाता जातिगत कारक को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को अधिकतम वोट दे सकें। चुनावों के दौरान, आमतौर पर सभी राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनकी जाति का उस क्षेत्र में प्रभाव होता है।

जाति और मतदान व्यवहार- हमारे देश में यह एक कठोर तथ्य है कि अधिकांश मतदाता अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं, और उम्मीदवार के व्यक्तिगत गुणों और जनता के प्रति उसके प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। भारतीय मतदाताओं का ऐसा रवैया लोकतंत्र को प्रभावित करता है।

3. सामाजिक रूप से विभाजित समाज के किन्हीं तीन पहलुओं को विस्तार से लिखिए।

उत्तर- भारतीय लोकतंत्र और राजनीति में मतभेद या सामाजिक विभाजन न केवल समाज में विभाजन पैदा करते हैं बल्कि कभी-कभी वर्गीय राजनीति का रूप भी ले लेते हैं। मतभेद वाले समाज के तीन मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

1. लोगों में पहचान की प्रबल भावना - पहला पहलू यह है कि लोगों में पहचान की प्रबल भावना के कारण, लोग स्वयं को श्रेष्ठ या भिन्न समझने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है क्योंकि शक्तिशाली समूह दमन की राजनीति का सहारा ले सकता है। इन लोगों की पारस्परिक विशिष्टता को बनाए रखते हुए, दूसरों की विशिष्टता की सराहना करना आवश्यक हो जाता है।
2. राजनेताओं द्वारा सार्वजनिक माँगों का प्रस्तुतीकरण- एक अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक यह है कि राजनीतिक दल किसी समुदाय के लोगों की माँगों को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। जो माँगें संविधान के दायरे में हों और किसी अन्य समुदाय के हितों को नुकसान न पहुँचाएँ, उन्हें आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। श्रीलंका में सिंहली लोगों को विशेषाधिकार देने और तमिल लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित करने की नीति को तमिल समुदाय की पहचान और हितों के विरुद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि योगोस्लाविया में भी, विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों से कुछ ऐसी माँगें रखीं जिन्हें एक ही देश की सीमाओं के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार योगोस्लाविया का विभाजन हो गया।
3. जनता की माँगों के प्रति सरकार का रवैया- तीसरा पहलू समुदाय की माँगों के प्रति सरकार का रवैया और प्रतिक्रिया है। हम बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं। बेल्जियम ने डच, फ्रांसीसी और जर्मनों के बीच सत्ता का बँटवारा करके, उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अधिकार देकर एकता को बढ़ावा दिया। लेकिन दूसरी ओर, श्रीलंका ने अल्पसंख्यक तमिलों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। अगर सरकार सत्ता साझा करने को तैयार है और अल्पसंख्यक समुदाय की वाजिब माँगों को ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करती है, तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी समुदाय की जायज़ माँगों को दबाने लगे, तो

'बल प्रयोग' के ज़रिए एकता स्थापित करने की कोशिशें अक्सर अलगाववादी भावनाएँ और प्रवृत्तियाँ पैदा करती हैं।

अनुच्छेद पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। यह संख्या सम है

लोकसभा की तुलना में विधानसभाओं में कम संख्या में सदस्य हैं। जब हम संख्या की तुलना करते हैं

भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या की तुलना अन्य देशों की संसदों से करने पर यह बात सामने आती है कि

भारत इस मामले में बहुत पीछे है। यह बात नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होती है।

भारत में कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से 22 महिलाएं चुनी गईं

पहली लोकसभा में 27, तीसरी लोकसभा में 34,

चौथी लोकसभा में 22, पांचवीं लोकसभा में 19, छठी लोकसभा में 28, सातवीं लोकसभा में 28

आठवीं लोकसभा में 44, नौवीं लोकसभा में 27, दसवीं लोकसभा में 39,

11वीं लोकसभा में 43, 12वीं लोकसभा में 43, 13वीं लोकसभा में 49, 14वीं लोकसभा में 45,

15वीं लोकसभा में 59, 16वीं लोकसभा में 62 और 17वीं लोकसभा में 79 महिलाएं थीं।

संसद के इस सदन के लिए चुने गए।

निम्नलिखित सवालों का जवाब दें:

(i) किस लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे कम थी?

उत्तर- महिला सदस्यों की सबसे कम संख्या छठी लोकसभा में थी, जहाँ केवल 19 महिलाएँ थीं

चुने गए।

(ii) किस लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है?

उत्तर: महिला सदस्यों की सबसे अधिक संख्या सत्रहवीं लोकसभा में थी, जहाँ 79

महिलाएं चुनी गईं।

(iii) किन लोक सभाओं में महिला सदस्यों की संख्या समान रही?

उत्तर: दसवीं और ग्यारहवीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या समान थी, 39

प्रत्येक।

(iv) किस लोकसभा से महिला सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है?

उत्तर: पंद्रहवीं लोकसभा से महिला सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है

सत्रहवीं लोकसभा के लिए।

(v) क्या आपके लोकसभा क्षेत्र से कभी कोई महिला सांसद जीती है? यदि हाँ, तो

नाम लिखें।

उत्तर: (नोट- विद्यार्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र का डेटा यहां लिखेंगे।)

ACTIVITY

भारत में लोकसभा चुनावों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या:

लोकसभा चुनाव क्रमांक	चुनाव वर्ष निर्वाचित महिलाओं की संख्या
1. पहली लोकसभा	1952-1957 22
2. दूसरी लोकसभा	1957-1962 27
3. तीसरी लोकसभा	1962-1967 34
4. चौथी लोकसभा	1967-1970 31
5. पांचवीं लोकसभा	1971-1977 22
6. छठी लोकसभा	1977-1979 19
7. सातवीं लोकसभा	1980-1984 28
8. आठवीं लोकसभा	1984-1989 44
9. नौवीं लोकसभा	1989-1991 27
10. दसवीं लोकसभा	1991-1996 39
11. ग्यारहवीं लोकसभा	1996-1998 39
12. बारहवीं लोकसभा	1998-1999 43
13. तेरहवीं लोकसभा	1999-2004 49
14. चौदहवीं लोकसभा	2004-2009 45
15. पंद्रहवीं लोकसभा	2009-2014 59
16. सोलहवीं लोकसभा	2014-2019 62
17. सत्रहवीं लोकसभा	2019-2024 78
18. अठारहवीं लोकसभा	2024-2029 74

1. पहली लोकसभा से 16वीं लोकसभा तक किस लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है ?

उत्तर: पहली लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा तक निर्वाचित महिला सदस्यों की सबसे अधिक संख्या

16 वीं लोकसभा (2014) में 62 महिलाएँ निर्वाचित हुईं।

यह उस समय तक की सबसे बड़ी संख्या थी।

2. पहली से 17वीं लोकसभा तक लोकसभा में महिलाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए ?

उत्तर: पहली लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक महिलाओं की कुल संख्या है-

$$22+27+34+31+22+19+28+44+27+39+39+43+49+45+59+62+78 = 668$$

महिला सदस्यों की औसत संख्या

= पहली लोकसभा से 17 वीं लोकसभा तक निर्वाचित महिलाओं की कुल संख्या

लोकसभाओं की संख्या

$$\text{औसत} = 668 \div 17 = 39.29$$

17

पहली लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक महिलाओं की औसत संख्या 39 (लगभग) है।

3. भारत में लोकसभा में महिलाओं की कम संख्या के कारणों का पता लगाएं।

उत्तर- भारत की लोकसभा में महिलाओं की संख्या कम होने के कई कारण हैं। जैसे-
जैसा-

1. सामाजिक रूढ़िवाद और पुरानी सोच- भारत में कई जगहों पर आज भी लोगों के पास पुरुष-

वर्चस्व वाली मानसिकता। महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के योग्य नहीं माना जाता है और नेता बन रहे हैं।

2. शिक्षा का अभाव- आज भी पिछड़े और कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम हैं।

महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। निरक्षरता और कम शिक्षा भी राजनीति में उनकी भागीदारी में बाधा डालती है।

3. आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव - महिलाएं आमतौर पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं।

राजनीतिक प्रतियोगिताओं के लिए धन और समर्थन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें नहीं मिलता।

4. राजनीतिक दलों की रूढ़िवादी सोच - राजनीतिक दल टिकट देने में झिझक महसूस करते हैं

अधिकांश टिकट केवल पुरुष उम्मीदवारों को ही दिए जाते हैं।

5. पारिवारिक जिम्मेदारियाँ - महिलाओं पर घर और परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदारियाँ होती हैं।

इसके कारण वे राजनीतिक जीवन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते।

5. राजनीति में बाधाएँ और निम्न-स्तरीय रूढ़िवादी राजनीति - महिलाओं को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है

पार्टियों के भीतर और बाहर प्रतिस्पर्धा में।

इन सभी कारणों से भारतीय लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कम है। लेकिन ये

दिनों-दिन यह दर धीरे-धीरे बढ़ रही है तथा भविष्य में इसमें और सुधार की उम्मीद है।

नोट: ऊपर दी गई गतिविधियाँ केवल शिक्षकों/छात्रों के मार्गदर्शन के लिए बनाई गई हैं। शिक्षक भी अपनी समझ, सुविधानुसार और तकनीक की मदद से इन गतिविधियों को हल/संपादित कर सकते हैं। दी गई गतिविधियों के निर्माण में तथ्यों/चित्रों/जानकारी आदि के लिए गूगल/विकिपीडिया कॉमन्स/चैट GPT स्रोतों का उपयोग किया गया है।

योगदानकर्ता: हरदेविंदर सिंह (राज्य संसाधन व्यक्ति, सामाजिक विज्ञान), एससीईआरटी पंजाब,

रणजीत कौर (लेक्चरर इतिहास) जीएसएसएस स्कूल छीना बेट, गुरदासपुर और
नेहा कंसल (एसएस मिस्ट्रेस) स्कूल ऑफ एमिनेंस लंडे के, मोगा